उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

विवाह प्रमाण पत्र सुधार हेतु छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी

विषय सूची

ई-डिस्ट्रिक्ट: होम पेज 2

चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण 3

चरण 3: पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन 4

चरण 3: योजना खोज 5

चरण 4: आवेदक की बुनियादी जानकारी 7

चरण 5: विवाह प्रमाण पत्र सुधार के लिए आवेदन 8

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना 9

चरण 7: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना 9

चरण 8: शुल्क का भुगतान 10

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना 11

ई-डिस्ट्रिक्ट: होम पेज

अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में टाइप करें – cgedistrict.cgstate.gov.in
निम्नानुसार होमपेज खुलेगा।

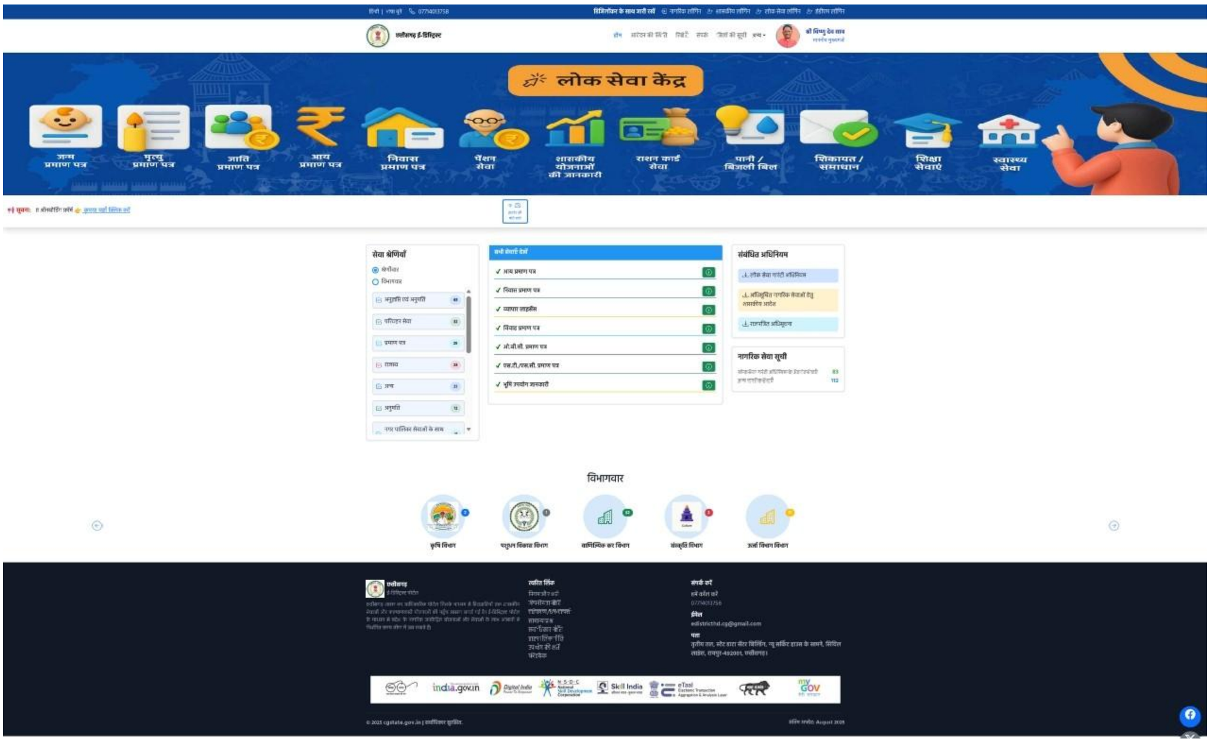

चित्र क्रमांक 1: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट होम पेज

लॉगिन करने के लिए होम पेज पर **नागरिक लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।

चित्र क्रमांक 2: नागरिक लॉगिन बटन

चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण

अगर आप नए यूज़र हैं तो छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया द्वारा रजिस्टर करें।

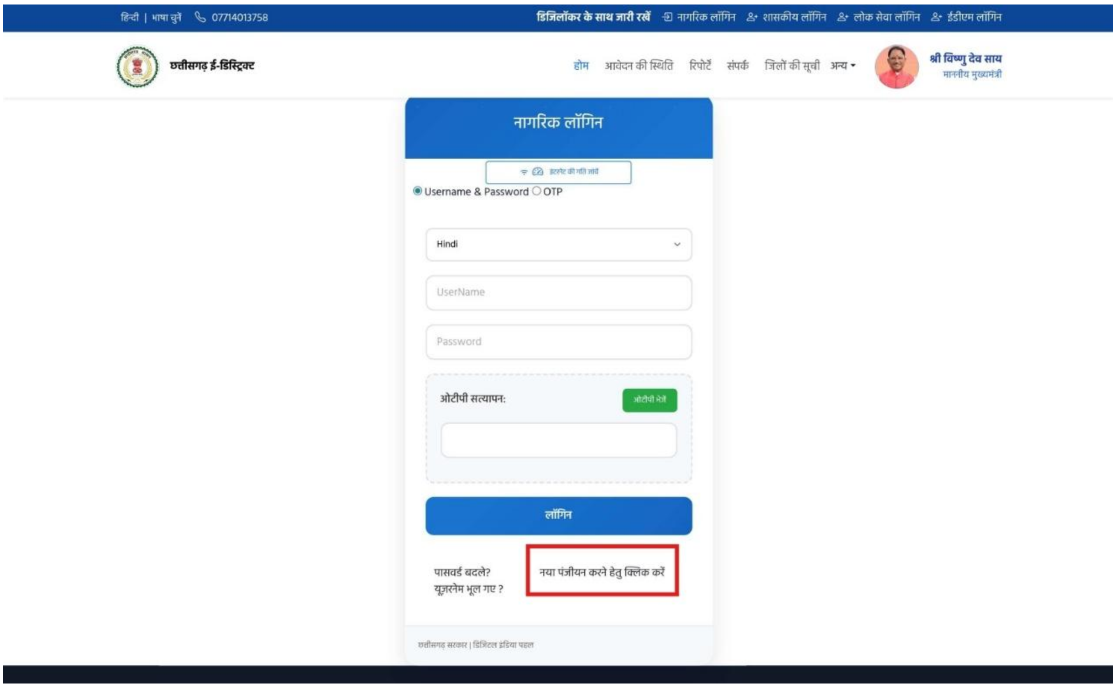

चित्र क्रमांक 3: नवीन उपयोगकर्ता पंजीयन

चरण 1.1: नए पंजीयन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करें, निम्नानुसार नागरिक पंजीकरण पेज खुलेगा।

चित्र क्रमांक 4: नागरिक पंजीकरण पेज

चरण 1.2: नागरिक पंजीकरण पेज पर आवेदक उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें।

चरण 1.2: फॉर्म में पूछी गई ज़रूरी जानकारियाँ दर्ज करें।

चरण 1.2: "जमा करें" बटन पर क्लिक करें। इस तरह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

चरण 3: पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन

पंजीकृत उपयोगकर्ता निम्न प्रक्रिया द्वारा लॉगिन करें।

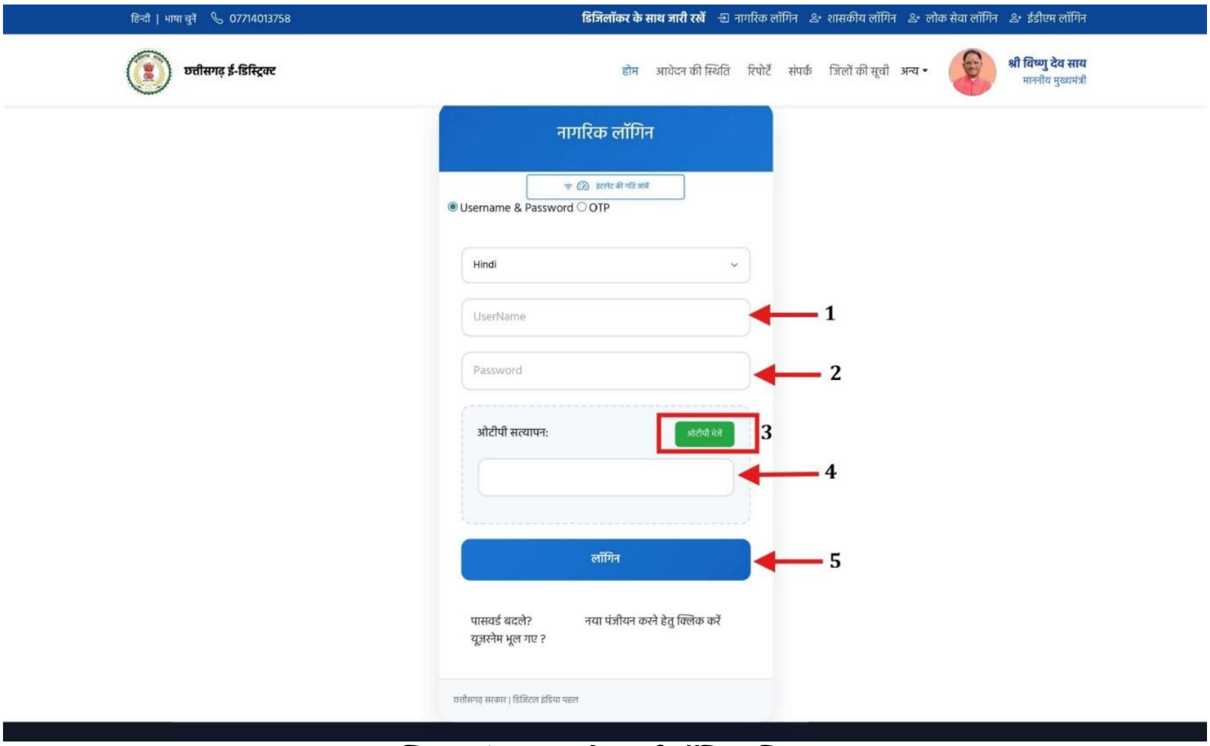

चित्र क्रमांक 5: उपयोगकर्ता लॉगिन प्रक्रिया

1. **यूज़रनेम** दर्ज करें।
2. **पासवर्ड** दर्ज करें।
3. ***"ओटीपी भेजें"*** पर क्लिक करें।
4. अपने पंजीकृत नंबर पर प्राप्त ओटीपी यहाँ दर्ज करें।
5. **लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: योजना खोज

चरण 3.1: योजना खोज पेज में दी गई जानकारी भरें।

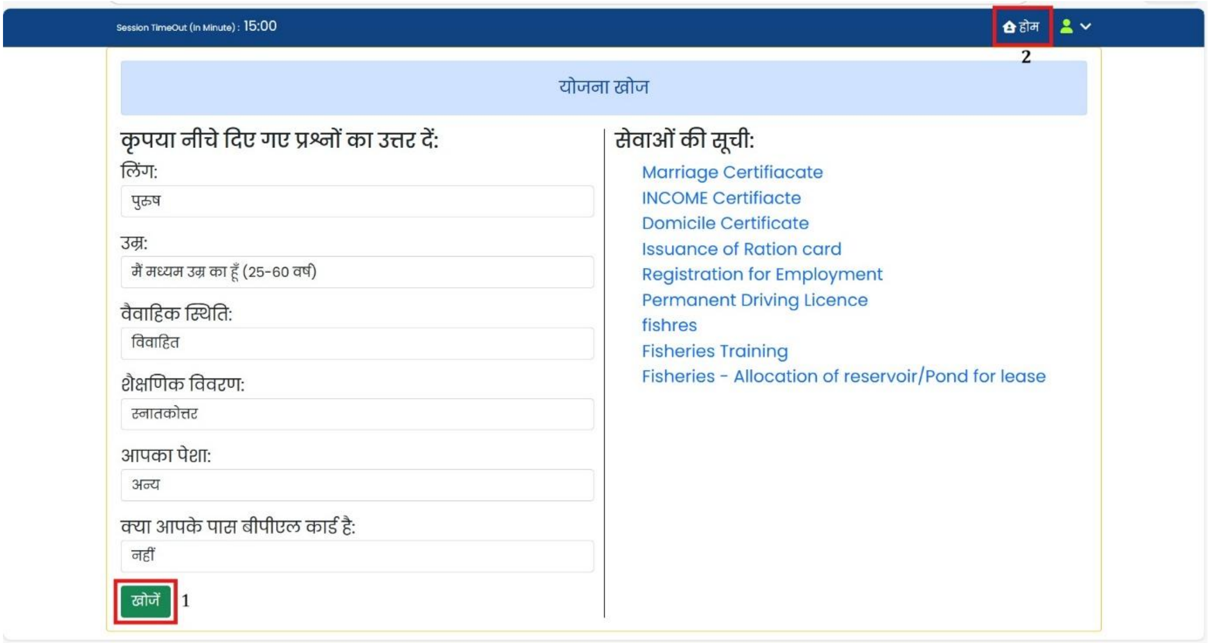

चित्र क्रमांक 6: योजना खोज पेज

चरण 3.2: खोजें पर क्लिक करें।

चरण 3.3: सेवाओं की सूची खुलेगी। इसमें **विवाह प्रमाण पत्र सुधार** देखें।

चरण 3.4: यदि यह सेवा सूची में शामिल नहीं है तो ऊपर दिए गए **होम** बटन पर क्लिक करें। निम्नानुसार पेज खुलेगा।

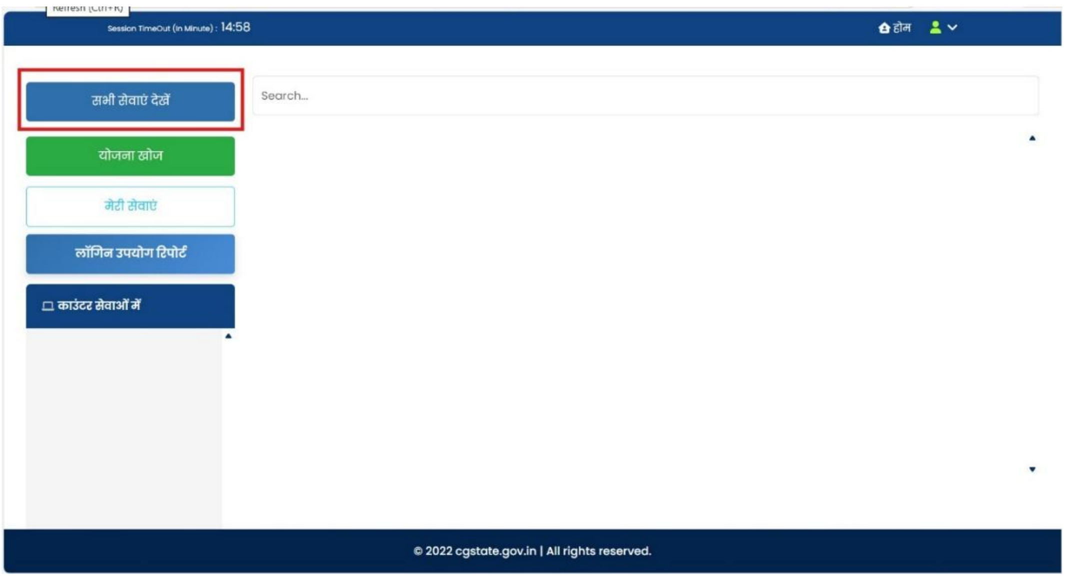

चित्र क्रमांक 7: उपयोगकर्ता होम पेज

चरण 3.5: इस पेज पर **"सभी सेवाएँ देखें"** पर क्लिक करें। सेवाओं की सूची खुलेगी।

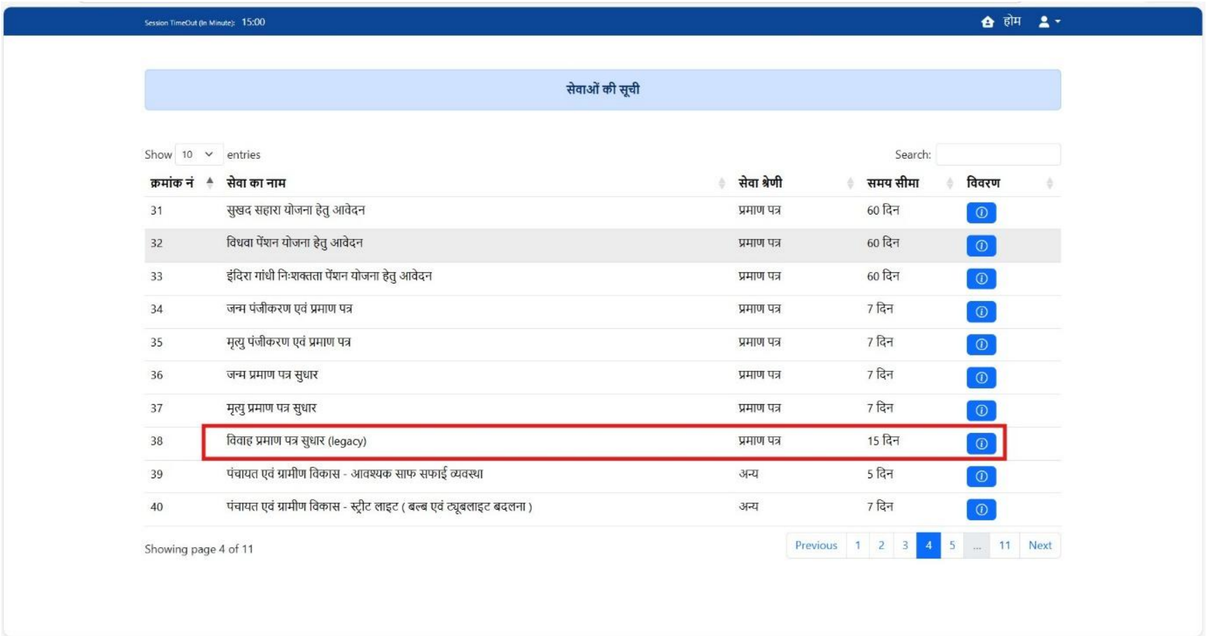

क्रमांक नं	सेवा का नाम	सेवा श्रेणी	समय सीमा	विवरण
31	सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन	प्रमाण पत्र	60 दिन	ⓘ
32	विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन	प्रमाण पत्र	60 दिन	ⓘ
33	इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना हेतु आवेदन	प्रमाण पत्र	60 दिन	ⓘ
34	जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	7 दिन	ⓘ
35	मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र	7 दिन	ⓘ
36	जन्म प्रमाण पत्र सुधार	प्रमाण पत्र	7 दिन	ⓘ
37	मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार	प्रमाण पत्र	7 दिन	ⓘ
38	विवाह प्रमाण पत्र सुधार (legacy)	प्रमाण पत्र	15 दिन	ⓘ
39	पंचायत एवं ग्रामीण विकास - आवश्यक साफ सफाई व्यवस्था	अन्य	5 दिन	ⓘ
40	पंचायत एवं ग्रामीण विकास - स्ट्रीट लाइट (बल्ब एवं ट्यूबलाइट बदलना)	अन्य	7 दिन	ⓘ

चित्र क्रमांक 8: सेवाओं की सूची

चरण 3.6: सेवाओं की सूची में से **विवाह प्रमाण पत्र सुधार** के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करें। आवेदक सर्च बार में सेवा का नाम टाइप करके भी सेवा की खोज कर सकते हैं।

निम्नानुसार सेवा का पेज खुलेगा। इस पेज पर आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची भी देखी जा सकती है।

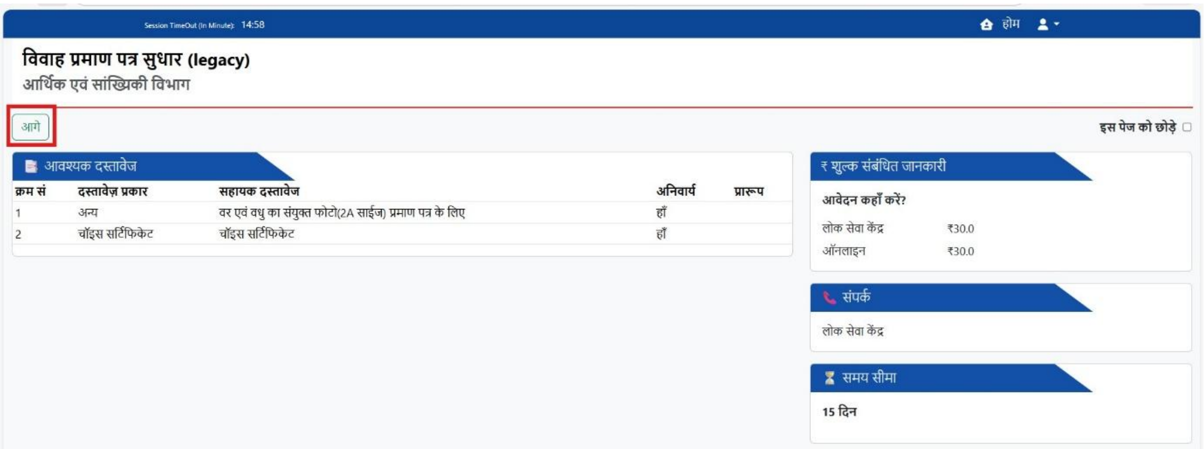

क्रम सं	दस्तावेज़ प्रकार	सहायक दस्तावेज	अनिवार्य	प्रारूप
1	अन्य	वर एवं वधु का संयुक्त फोटो(2A साईज) प्रमाण पत्र के लिए	हाँ	
2	चॉइस सर्टिफिकेट	चॉइस सर्टिफिकेट	हाँ	

चित्र क्रमांक 9: सहायक दस्तावेज़ों की सूची

चरण 3.6: "आगे" बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदक की बुनियादी जानकारी

चरण 4.1: निम्नानुसार फॉर्म में पूछी गई जानकारियाँ दर्ज करें।

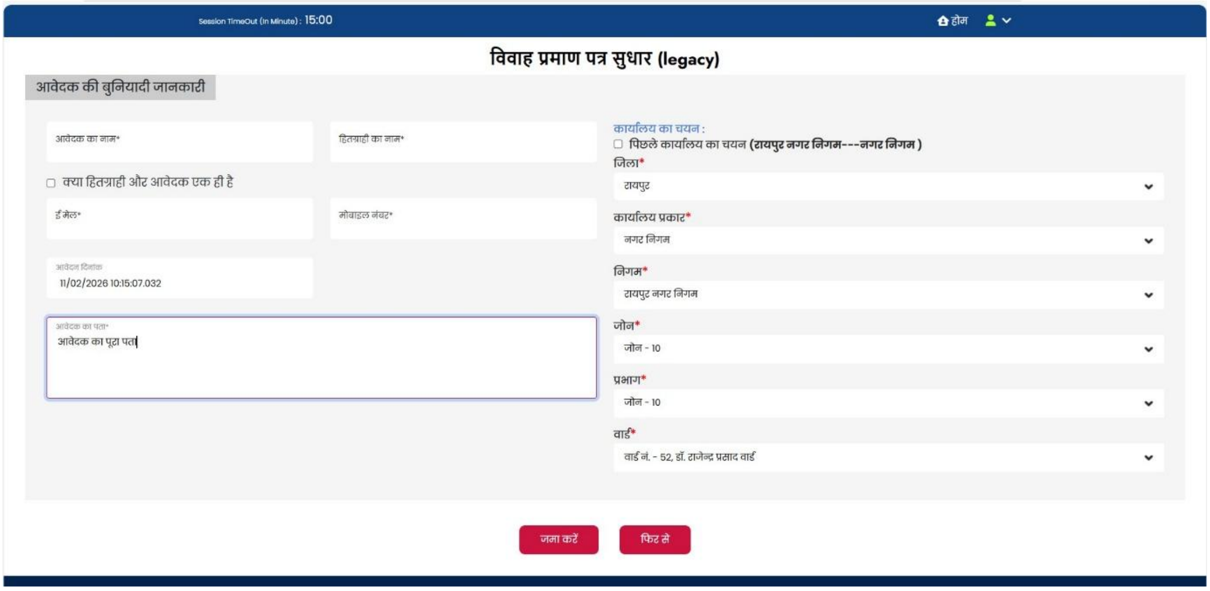

चित्र क्रमांक 11: आवेदक की बुनियादी जानकारी

चरण 4.2: फॉर्म भरने के बाद ***"जमा करें"*** बटन पर क्लिक करें। निम्नानुसार सहायक दस्तावेज़ की जांच सूची दिखाई देगी।

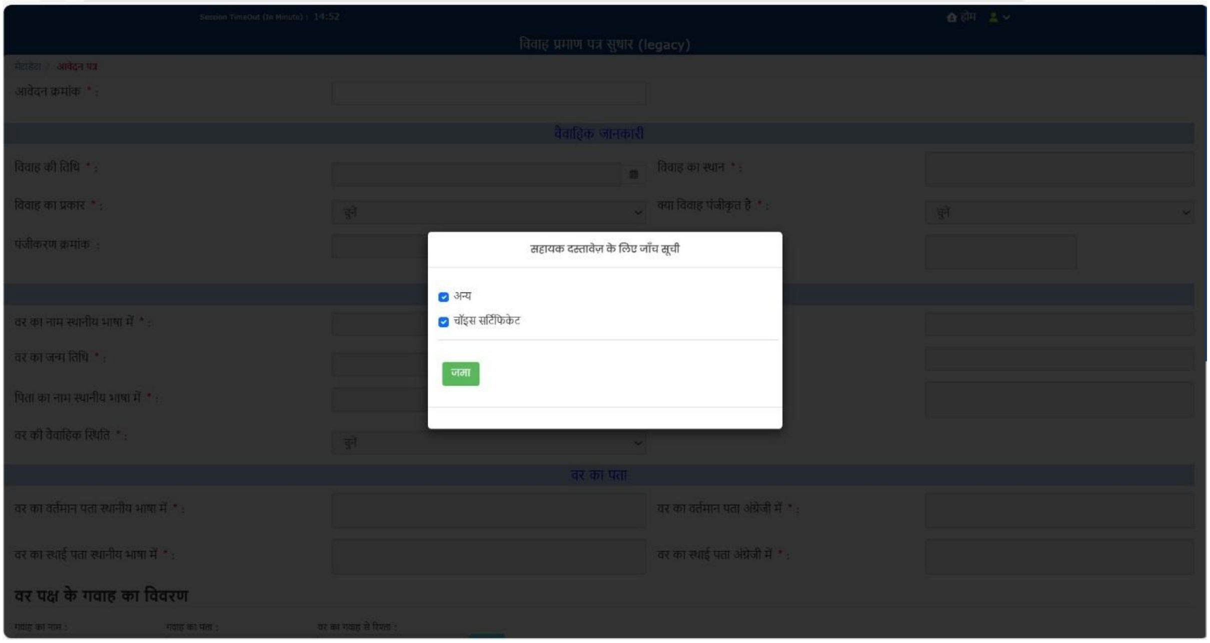

चित्र क्रमांक 12: सहायक दस्तावेज़ों की जांच सूची

चरण 4.3: इस विंडो में दिए गए ***"जमा"*** बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: विवाह प्रमाण पत्र सुधार के लिए आवेदन

चरण 5.1: आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारियाँ दर्ज करें।

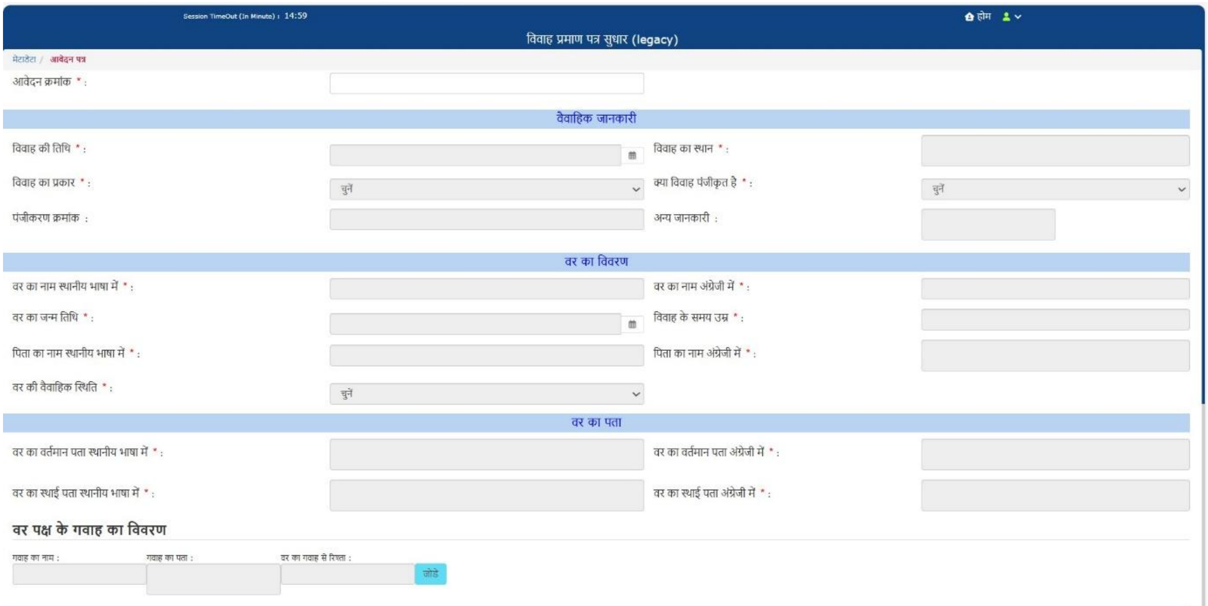

चित्र क्रमांक 13: विवाह प्रमाण पत्र सुधार हेतु आवेदन फॉर्म – वर का विवरण

चित्र क्रमांक 14: विवाह प्रमाण पत्र सुधार हेतु आवेदन फॉर्म – वधु का विवरण

चरण 5.2: फॉर्म भरने के बाद **"सहेजें और पूर्वावलोकन"** बटन पर क्लिक करें।

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना

अनुलग्रक का विवरण पेज खुलेगा। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें।

चित्र क्रमांक 15: सहायक दस्तावेज़ अपलोड

चरण 6.1: *"Choose File"* पर क्लिक कर अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप से दस्तावेज की स्कैन कॉपी चुनें।
चरण 6.2: फाइल चुनने के बाद ***"UPLOAD"*** पर क्लिक करें।
चरण 6.3: दस्तावेज अपलोड करने के बाद **"अनुलग्रक सहेजें"** पर क्लिक करें।
चरण 6.4: पुष्टिकरण के लिए डॉयलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे **ओके** कर दें।

चरण 7: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना

अनुलग्रक सहेजने के पश्चात् निम्न चित्रानुसार पूर्वावलोकन पेज खुलेगा। ध्यानपूर्वक अपने आवेदन की जांच करें।

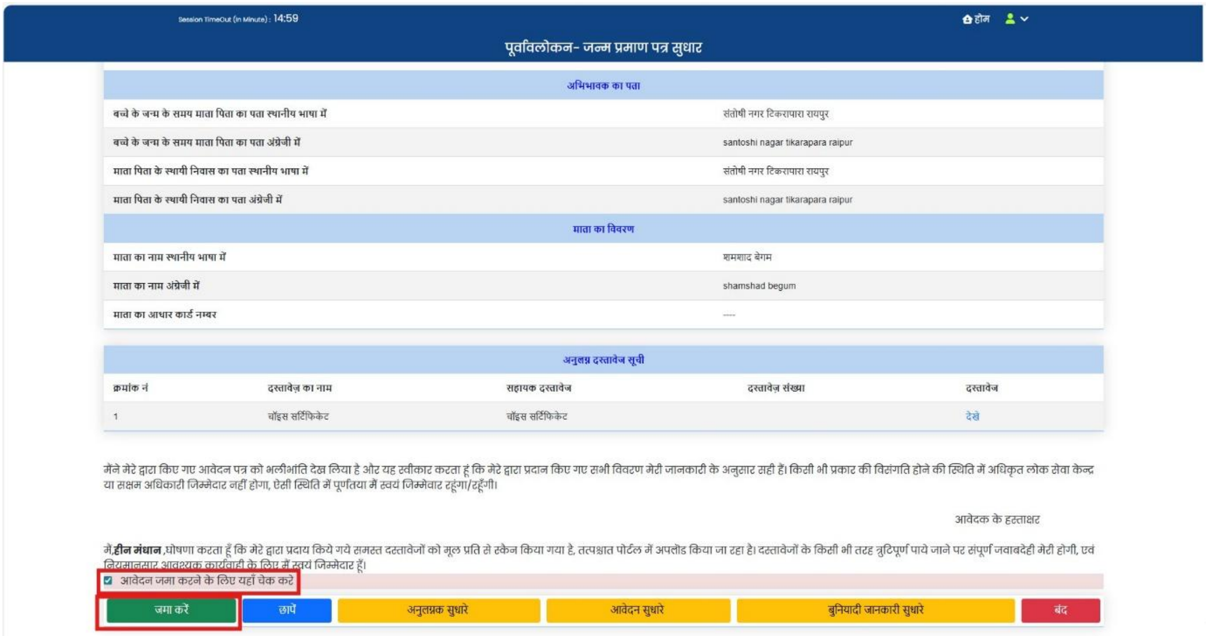

चित्र क्रमांक 15: पूर्वावलोकन

चरण 7.1 घोषणा: घोषणा हेतु निर्धारित बॉक्स पर क्लिक करें।
चरण 7.2: घोषणा पर क्लिक करते ही **"जमा करें"** बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

चरण 8: शुल्क का भुगतान

यह पेज कियोस्क ऑपरेटर द्वारा प्रति यूनिट लिए जाने वाले सेवा शुल्क को प्रदर्शित करता है।

चित्र क्रमांक 16: शुल्क का विवरण

चरण 8.1: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

चरण 8.2: ***"जमा करें"*** पर क्लिक करें। इस तरह आवेदन जमा हो जाएगा।

नोट:

- लोकसेवा केंद्र/ सीएससी/कियोस्क के लिए सेवा शुल्क रु. 30 निर्धारित हैं।
- इसके अतिरिक्त और कोई शुल्क देय नहीं है।

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात् पावती जेनरेट होती है। इसमें **आवेदन संदर्भ क्रमांक** देखा जा सकता है। इस पावती का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।

पावती (लोक सेवा गारंटी)

आवेदन सारांश:

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	2351012601000001
आवेदन दिनांक	11-02-2026
सेवा का नाम	विवाह प्रमाण पत्र सुधार (legacy)
भुगतान का विवरण	लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क 30.00; स्कैनिंग शुल्क 0.00
कुल भुगतान शुल्क	30.0
भुगतान का तरीका	ई-वॉलेट
सेवा की नियत तिथि	05-03-2026
प्रदेय विवरण (प्रमाण पत्र, नगद प्राप्ति, आदेश की प्रति)	प्रमाण पत्र

कार्यालय	
कार्यालय प्रकार	नगर निगम
जिला	रायपुर
नगर निगम	रायपुर नगर निगम
जोन	जोन - 10
डिवीज़न-नगर निगम	जोन - 10
वार्ड-म्युनिसिपल कारपोरेशन	वार्ड नं. - 49, गुरू घासी दास वार्ड

आवेदक का विवरण	
नाम	[illegible]
पता	[illegible]
जिला	रायपुर
राज्य	छत्तीसगढ़
ईमेल	heenasachani@gmail.com
मोबाइल नंबर	[illegible]

किसी भी पूछताछ के लिये अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में संपर्क करें

लोक सेवा केंद्र / सी.एस. सी./ चॉइस केंद्र का विवरण	
नाम	हीन मंधान
पता	[illegible]
मोबाइल नंबर	[illegible]

मुहर एवं हस्ताक्षर

नोट: 1.यदि वैध शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी राशि की मांग की जाती है तो 0771-4013758 नंबर पर संपर्क करे |

2.आवेदन शुल्क रु. 30 (तीस रुपये मात्र) तथा समुचित वांछित दस्तावेज प्राप्त करते समय रु. 5 (पांच रुपये मात्र)

चित्र क्रमांक 17: पावती एवं आवेदन संदर्भ क्रमांक

आवेदन संदर्भ क्रमांक की सहायता से आवेदन की स्थिति छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर देखी जा सकती है।

उपयोगी जानकारी:

- आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा के अंदर आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।